

140

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी कैम्प रीवामोरो



Rs-20/-

R-2422-III/16

393
18-7-14

मक्षुदन प्रसाद पिता रामधनि साकेत पाण्डित निवासी शंकरपुर, तहसील त्योंधर, जिला रीवा द्वारा सरपरस्त बली पत्नी मीना पत्नी मक्षुदन प्रसाद निवासी शंकरपुर, तहसील त्योंधर, जिला रीवा मोरो

—आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. पन्ना लाल पिता विश्वनाथ साकेत निवासी शंकरपुर, तहसील

पुढ़ेश्वरीमंडी १८७१५
कृष्णपुर, जिला रीवा मोरो
दिनांक १८.७.१५

साकेत कोटे रीवा

क्रमांक २३६९
कृष्णपुर, जिला रीवा आज
दिनांक _____ को प्राप्त

कृष्णपुर अधिकारी
राजस्व मण्डल अ.प्र. अधिकारी
मठोदय,

—अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्ता

राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकाघाट, तहसील

त्योंधर जिला रीवा मोरो प्र० के द्वारा प्र० क्र० ०३७ अ० १२/

२०१३-२०१४ में पारित आदेश दिनांक

२०.६.२०१४ के बिन्दु निगरानी अन्तर्गत

धारा ५० मोरो भूरा १० संहिता

निगरानी के सूचना तथ्य:-

यह कि, आराजी नं. ४९/२ ग रकवा।.०।२ है। सा० शंकरपुर, प०८० शंकरपुर, रा० नि० स० चाकाघाट के द्वारा अनावेदक क्रमांक । के आवेदन किये जाने पर उपत आराजी का सीमांकन पर आदेश दिनांक २०.६.२०१४ को पुष्ट किया गया तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उपत आराजी पर मक्षुदन पिता रामधनि का कब्जा है जबकि आवेदित आराजी नं. ४९/२ ग से संलग्न आवेदक की आराजी नं. ४९/४ है जिस पर आवेदक का पुरतीनी कब्जादहल है लेकिन किये गये सीमांकन पर वगर कोई सूचना नहीं बिहान बिपरीत अलीच्य सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिससे धीरूप औपर निम्नाधारों पर यह अपील प्रस्तुत की जारही है।

—निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र0R / 2422-III/14

जिला-रीवा

मकसूदन प्रसाद साकेत / पन्नालाल साकेत

| (1) | (2) | (3) |
|----------|---|-----|
| 15.03.18 | <p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>  <p>सदस्य</p> | |